न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–45/2022 विविध

हेतराम पुत्र स्व. श्री हरलाल पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी/वादी

बनाम

1. मु. तुलछी तथाकथित पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीया/प्रतिवादिया

2. श्रीमति श्वेता कोचर, पीठासीन अधि. न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

3. पारीदेवी धर्मपत्नी स्व. हरलाल
4. बृजलाल पुत्र स्वत्र हरलाल
5. समेश्ता धर्मपत्नी स्व. श्री महावीर पुत्र स्व. हरलाल
6. राजाराम
7. कृपाल
8. लिछमा
9. राजबाला
10. सरोज
11. सन्तरो

   पिसरान स्व. श्री महावीर पुत्र स्व. हरलाल

12. मनीराम
13. रावताराम

   पुत्रगण श्री लेखराम

जाति जाट, निवासीगण भगवानसर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी अप्रार्थीगण/वादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल किये जाने राजस्व वाद संख्या 508/2018 शीर्षक 'हरलाल बनाम तुलछी आदि' अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. न्यायालय सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर।

उपस्थितः–1. श्री लालचन्द वर्मा, एडवोकेट–प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 3 ता 13।
2. श्री देवीलाल भाम्भू एडवोकेट–अप्रार्थीया सं. 1।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः–18.08.2022**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 13 ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष अप्रार्थीया सं. 01 के विरूद्ध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट का वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। यह वादपत्र प्रार्थी ने

तहसील नोहर की रोही मौजा नाथोवाला खसरा नं. 106 की 5.375 हैक्ट. व रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खसरा नं. 125/2 की 2.099 हैक्ट., खसरा नं. 131/5 की 0.506 हैक्ट., खसरा नं. 222/5 की 4.591 हैक्ट., खसरा नं. 309 की 0.619 हैक्ट. तथा खसरा नं. 659/2 की 1.328 हैक्ट. कुल 9.143 हैक्ट. भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के बहिस्सा बराबर की खातेदारी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। इस वादपत्र में वादीगण ने यह कथन किया है कि श्री जयलाल की विवाहिता पत्नी परमेश्वरी ही थी जो सन 1993 में फौत हो गई। अप्रार्थीया सं. 01 मु. तुलछी स्व. श्री बृजलाल की विहिता पत्नी नहीं है तथा हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक अपनी प्रथम पत्नी के जीवनकाल में स्व. श्री जयलाल अप्रार्थीया सं. 01 से शादी भी नहीं कर सकता था। यह विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार प्रारम्भतः ही शुन्य है तथा अप्रार्थीया सं. 01 विधि विरूद्ध रूप से स्वयं को स्व. श्री जयलाल की विवाहिता पत्नी होने का कथन कर स्व. श्री जयलाल के देहान्त उपरान्त प्रश्नगत भूमि में स्व. श्री जयलाल के 1/4 हिस्सा में मिथ्या रूप से क्लेम कर रही है।

अप्रार्थीया सं. 01 व उसके पीहर पक्ष राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है तथा उनका अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 02 पर राजनैतिक दबाव है तथा प्रार्थी व अन्य वादीगण के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा है। इस दबाव के कारण अप्रार्थी सं. 2 पीठासीन अधिकरी इस प्रकरण में अप्रार्थीया सं. 1 का पक्ष ले रही है तथा महिला अधिकारी होने के कारण अप्रार्थीया सं. 01 महिला होने से उसका पक्षपात कर रही है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी व शेष वादीगण/अप्रार्थीगण सं. 03 ता 13 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 2 से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। अप्रार्थी सं. 02 इस प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरान्त निरंतर छोटी–छोटी पेशियां दे रही है तथा गत पेशी 10.05.2022 को इस मुकदमे में प्रार्थी के अधिवक्ता को शीघ्र ही बहस करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि बहस नहीं की जाती है तो पत्रावली में फैसला कर दिया जायेगा। प्रार्थी को युक्तियुक्त आशंका है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव में आकर निर्णय पारित करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी पेशी 31.05.2022 नियत है तथा इस तिथि को अप्रार्थी सं. 02 द्वारा इस प्रकरण का बिना सुनवाई ही निस्तारण कर दिया जायेगा। इन परिस्थितियों में प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 02 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष लम्बित राजस्व वाद सं. 508/2018 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. बअनवानी 'हरलाल बनाम तुलछी आदि' को उक्त न्यायालय से स्थानान्तरित कर सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कतई असत्य मिथ्या एवं विधिविरूद्ध होने के कारण अस्वीकार है अप्रार्थीया सं. 01 मजबूर एवं लाचार औरत जात है जिनका पीहर पक्ष से कोई सहारा एवं सम्बन्ध नहीं है तथा अप्रार्थी सं. 02 पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीया सं. 01 का पक्ष होने के कथन कतई असत्य एवं लालचवंश एवं अप्रार्थीया सं. 01 को हरान एवं परेशान करने के लिए मिथ्या एवं मनगढत कहानी बनायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस पर है प्रार्थी ने प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में असत्य कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया सं. 01 के हक व अधिकार को षड़यंत्र पूर्वक समाप्त करने के उद्देश्य से दावा पेश कर रखा है तथा उक्त दावा का जल्द निस्तारण नहीं होने देना चाहता ताकि अप्रार्थीया सं. 01 के हक व हिस्सा के फ्रुटस प्रार्थी को मिलते रहे। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप कि पीठासीन अधिकारी महिला है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निर्णय करना चाहती है कतई मनगढ़त बेबुनियाद एवं विधिविरूद्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मनगढ़त, विधि विरूद्ध एवं मिथ्या आधारों पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 13 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीया सं. 01 के विरूद्ध धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के बहिस्सा बराबर

की खातेदारी घोषित किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थीया सं. 01 व उसके पीहर पक्ष राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है तथा उनका अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 02 पर राजनैतिक दबाव है तथा प्रार्थी व अन्य वादीगण के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा है। इस दबाव के कारण अप्रार्थी सं. 2 पीठासीन अधिकरी इस प्रकरण में अप्रार्थीया सं. 1 का पक्ष ले रही है तथा महिला अधिकारी होने के कारण अप्रार्थीया सं. 01 महिला होने से उसका पक्षपात कर रही है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी व शेष वादीगण/अप्रार्थीगण सं. 03 ता 13 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 2 से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निरतारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या है कि अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीया सं. 01 व उसके पीहर पक्ष का राजनैतिक दबाव है जबकि अप्रार्थीया सं. 01 मजबूर एवं लाचार औरत जात है जिनका पीहर पक्ष से कोई सहारा एवं सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप कि पीठासीन अधिकारी महिला है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निर्णय करना चाहती है कतई मनगढ़त बेबुनियाद एवं विधिविरूद्ध है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी जानबूझकर प्रकरण को लम्बित रखने तथा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया सं. 01 पर जो आक्षेप अंकित किये है वे निराधार, मनघडंत एवं झूठे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य निराधार एवं तथ्यहीन होना तथा वर्तमान में प्रकरण बहस पर विचाराधीन होने व उभयपक्षों के द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर उभयपक्षों के अधिवक्ता के अनुसार ही प्ररकण में तारीख पेशीया दिया जाना अंकित किया है। प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय में दायर वाद पत्र जो वास्ते बहस उभयपक्ष की स्टेज पर है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को समुचित अवसर देते हुए सुनवाई की जा रही है जिससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा किसी भी दबाव में कार्य नहीं कर विचाराधीन वाद में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं 02 व अप्रार्थीया संख्या 01 के विरूद्ध जो आक्षेप अंकित किये गये है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं और ना ही बहस के दौरान कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नहीं समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए शीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 18.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़